

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)
राजस्व लोक अदालत-न्याय आपके द्वार 2018

पीठासीन अधिकारी:-राजलक्ष्मी गहलोत, आर.ए.एस.
मुकदमा नम्बर:- 75/2017(2017/00214) वाद पत्र

अनवान

1. रतननाथ आत्मज बालकनाथ कालबेलिया निवासी परबती तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1. शंकरनाथ आत्मज बालकनाथ कालबेलिया निवासी परबती तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

2. राजस्थान राज्य जरिऐ तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53 राज० टी० एक्ट

उपस्थित

1-हरीश टेलर

अधिवक्ता वादी

दिनांक 06.06.2018

निर्णय

पत्रावली राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2018 केम्प रायपुर में पेश हुई। प्रकरण का सक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि ग्राम केमुनिया पटवार हल्का रायपुर तहसील रायपुर बैरून हल्का आबादी में वादी एवं प्रतिवादी संख्या एक के संयुक्त खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 1720 रकबा 0.65 है० भूमि राजस्व खाता संख्या 440 पर स्थित है। वादी का 2/3 एवं प्रतिवादी संख्या 01 का 1/3 हिस्सा का स्वतंत्र राजस्व खाता रेवेन्यु रेकार्ड में खोले जाने हेतु प्राथमिक डिक्री जारी किये जाने एवं तहसीलदार रायपुर को विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश करने का आदेश दिया गया था जिसकी पालना में दिनांक 06.06.2018 को तहसीलदार रायपुर द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव का जारी डिक्री एवं रेकार्ड आफ राईट्स जमाबंदी से मिलान किया गया जो सही प्रतीत होने से विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

ग्राम केमुनिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा के बैरून हल्का आबादी में स्थित खाता संख्या 440 में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 के खाते की भूमि के विभाजन की अंतिम डिक्री निम्नानुसार दी जाती है-

क्र.	खातेदार	खसरा न०	रकबा (है०)	किस्म
01	रतननाथ पिता बालकनाथ कालबेलिया सा० देह खातेदार	1720/1	0.43	
		योग	1	0.43
02	शंकरनाथ पिता बालकनाथ कालबेलिया सा० देह खातेदार	1720/2	0.22	
		योग	1	0.22

अंतिम डिक्री अनुसार भूमि दर्ज रेकार्ड किये जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार अंतिम डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें।

यह आज तारीख 06.06.2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मोहर से जारी की गई।

राजलक्ष्मी गहलोत
सहायक कलक्टर(उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

मूल वाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर जिला भीलवाडा
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)

पीठासीन अधिकारी:—राजलक्ष्मी गहलोत, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:— 75/2017(2017/00214) वाद पत्र

अनवान

1. रतननाथ आत्मज बालकनाथ कालबेलिया निवासी परबती तहसील रायपुर जिला भीलवाडा वादी
- बनाम
1. शंकरनाथ आत्मज बालकनाथ कालबेलिया निवासी परबती तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
2. राजस्थान राज्य जरिऐ तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा नम्बर:— 75/2017(2017/00214) वाद पत्र

निर्णय दिनांक:— 06.06.2018

वाद में आज तारीख 06.06.2018 को न्याय आपके द्वार 2018 की राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट अटल सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत रायपुर के समक्ष अंतिम निपटारो के लिए पेश होने पर, आदेश दिया जाता है और डिक्री दी जाती है कि -

ग्राम केमुनिया तहसील रायपुर जिला भीलवाडा के बैरून हल्का आबादी में स्थित खाता संख्या 440 में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 के खाते की भूमि के विभाजन की अंतिम डिक्री निम्नानुसार दी जाती है-

क्र. खातेदार	खसरा न0	रकबा (है0)	किस्म
01 रतननाथ पिता बालकनाथ कालबेलिया सा0 देह खातेदार	1720/1	0.43	
	योग 1	0.43	
02 शंकरनाथ पिता बालकनाथ कालबेलिया सा0 देह खातेदार	1720/2	0.22	
	योग 1	0.22	

अंतिम डिक्री आज तारीख 06.06.2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(राजलक्ष्मी गहलोत)
पीठासीन अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
रायपुर